

## अंधता नयितरण के लिये पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

### चर्चा में क्यों?

13 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में नसिगी राजस्थान की परकिलपना को साकार करने की दशा में एक अभनलव पहल करते हुए देश में पहली बार 'राइट टू साइट वजन' के उद्देश्य के साथ अंधता नयितरण पॉलिसी लागू की गई है।

### परमुख बढु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता नववारण के लयल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी कयल गया है। राज्य में तीन लाख से अधिक दृषुटबलधतल से पीड़तल लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि देश में वर्ष 2020 में अंधता परसार दर 1 परतशत थी, जसल 'राइट टू साइट वजन' पॉलिसी के द्वारा 0.3 परतशत तक लाने की दशल में कार्य कयल जाएगा।
- राज्य सरकार की अंधता नयितरण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडकल कॉलेजों में अनवलर्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालतल कयल जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत वतलतीय सहायता प्राप्त करने वाले नजली संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रतल कॉर्नयल को पराथमकतल से सरकारी संस्थानों को उपलबध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश के जललों में इस कषेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, अस्पतालों एवं अन्य चैरटलबल संस्थाओं के साथ मललकर परयास कयल जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा नजली संस्थाओं को साथ लेकर व्यापक स्तर पर नेत्रदान के लयल मुहीम चलाई जाएगी। नेत्र वशलषज्ज, नेत्र सर्जन, सनातकोत्तर के वदयारथी, नेत्रदान के लयल कार्यरत काउंसलर्स एवं नेत्र सहायक आदलको वशलष परशकषण दयल जाएगा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचवल डॉ. पृथ्वी ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत अंधता नयितरण संबधी जन-जागरुकता और वभनलन तकनीकी सुधार गतवलधयल आयोजतल की जाएंगी।